UPRB010033872026

न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।
पीठासीन अधिकारी–श्री अनिल कुमार पंचम, (उ0प्र0 उच्चतर न्यायिक सेवा)– UP6045
प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1413/2026

1–अभिषेक उम्र 20 साल पुत्र मनीलाल निवासी ग्राम पूरे धनऊ मजरे खेतौधन थाना डीह जनपद रायबरेली ।

..... प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

1–राज्य उ०प्र० द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रायबरेली।

..... अभियोगी।

मुकदमा अपराध संख्या–73/2026
अं०धारा–109(2),3(4) बी.एन.एस.
व 9/25/27 आर्म्स एक्ट
थाना–डीह, जनपद–रायबरेली

दिनांक–04.07.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **अभिषेक** की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या–73/2026 अन्तर्गत धारा–109(2),3(4) भारतीय न्याय संहिता व 9/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना–डीह, जनपद–रायबरेली के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षिप्तः इस प्रकार है कि, "दिनांक 04–05.5.26 को जल जीवन मिशन के इकोटोन प्राइवेट लिमिटेड के गोदाम के लूट करने वाले गिरोह के सदस्य घटना मे प्रयुक्त वाहन फोर्ड फीगो नं० UP33S7253 हरा रंग मे लूटे गये माल को लेकर बेचने के लिए कस्बा डीह होते हुए फुर्सतगंज जनपद अमेठी की तरफ जा रहे है। सूचना पर, उक्त वाहन का कस्बा डीह की तरफ से पीछा/चेंकिग करना बताया गया। चालक द्वारा हड़बड़ाहट मे अचानक सड़क की बांयी पटरी पर रोककर गाडी मोड़ने की कोशिश करने लगा कि आगे गड्ढा होने के कारण अचानक गाड़ी बन्द हो गयी तो गाड़ी में बैठे सभी व्यक्ति ने हम पुलिस वालो को देखकर एक राय होकर ललकारा कि ये पुलिस वाले है गोली मार दो इस पर ड्राईविंग सीट व उसकी बगल वाली शीट से दोनो व्यक्तियो द्वारा गेट खोलकर अलग अलग दिशा मे भागते हुए ड्राईवर चालक की बगल सीट पर बैठा व्यक्ति मेरी टीम पर और चालक सीट पर बैठे व्यक्ति ने पीछे से आयी पुलिस टीम पर निशाना लगाकर जान से मारने की नियत से फायर किया जो संयोगवश हम पुलिस वालो के बगल से निकल गयी जिससे हम पुलिस वाले बाल बाल बच गये आत्मरक्षार्थ मे मुझ प्रभारी निरीक्षक द्वारा करीब 20 कदम की दूरी से अपनी सरकारी पिस्टल से ड्राईविंग सीट के बगल वाली सीट पर बैठे व्यक्ति को जो पुनःकारतूस तमंचे मे लोड कर रहा था कि आत्मरक्षार्थ रोकने की नियत से कमर के नीचे फायर किया जो उसके दाहिने पैर मे लगी जबकि दूसरा व्यक्ति जिसने दूसरी टीम के उ0नि0 शिवम जायसवाल आदि पुलिस बल पर जान से मारने की नियत से फायर किया था घेरावंदी की बजह से वह भी तमंचा तानकर निशाना लगाकर मेरी तरफ झाड़ियो का आड़ लेकर आगे बढा कि मेरे द्वारा अपनी व साथी पुलिस बल की सुरक्षार्थ उसके कमर के नीचे की तरफ फायर किया जो उसके वायें पैर मे लगी कि हम सभी पुलिस वाले सिखलाये गये तरीके से उनके गिरने पर पुनः फायर न करने का

मौका देते हुए उन्हे घेर कर पकड़ लिया गया। हिकमत अमली से पूछताछ की गयी तो सभी ने बताया कि हमने अपने अन्य साथियो के साथ मिलकर कस्बा डीह में स्थित जलजीवन मिशन के गोदाम के पीतल की टोटी चोरी करने की योजना बनाई थी। मौके पर फोर्ट फीगो कार से सभी बोरियो को निकलवाकर गिनती करायी गयी तो पहली जूट की बोरी मे 153 अदद पीतल टोटी दूसरी बोरी में 188 अदद पीतल की टोटी तीसरी प्लास्टिक की बोरी मे 192 अदद पीतल की टोटी चौथी जूट की बोरी मे 172 अदद पीतल की टूटी पांचवी एक प्लास्टिक की बोरी मे 215 अदद पीतल की टोटी कुल 920 अदद पीतल की टोटी बरामद हुयी।"

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र संक्षिप्तः इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि, प्रार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त अपराध मे असत्य एवं आधारहीन तथ्यो के आधार पर पुलिस द्वारा फर्जी नामित कर दिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसने किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया है। संपूर्ण अभियोजन कथानक असत्य बनावटी व मनगढन्त होने के कारण विश्वसनीय नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को कथित प्रथम सूचना रिपोर्ट में गलत तरीके से अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई घटना कारित नहीं की गयी है, न ही प्रार्थी अभियुक्त के पास से किसी प्रकार का कोई आग्नेयास्त्र बरामद किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में पुलिस द्वारा कहा गया है, कि प्रार्थी/अभियुक्त को कथित वाहन की पिछली सीट से पकडा जाना कहा गया है, जबकि यह कथन पूरी तरह से असत्य है, और प्राथी द्वारा किसी प्रकार का फायर किया जाना अथवा किसी को चोट पहुंचाये जाने का कोई उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट मे उल्लिखित नहीं है, इस तरह से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं बनता है। वास्तविकता यह है कि पुलिस प्रार्थी/अभियुक्त को उसके घर से पकड लायी, और प्रार्थी/अभियुक्त के विरोधियो की साजिस से उपरोक्त कथित अपराध में फर्जी कहानी गढ़ते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को नामित कर चालान कर दिया। जबकि प्रार्थी/अभियुक्त ने न तो किसी प्रकार की कोई लूट किया है, और न लूट की कोई योजना ही बनाया है। कथित घटना एवं गिरफतारी के समय का कोई जनता का साक्षी नामित न होना भी पूरी घटना को अविश्वसनीय व झूठा बनाता है। जबकि जिस स्थान की कथित घटना होनी कही जाती है, वहां पर काफी लोगो की उपस्थिति रहती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में पुलिस पार्टी पर फायर किये जाने का कथन किया गया है, किन्तु किसी पुलिस कर्मी अथवा किसी व्यक्ति को कोई चोट नही आयी है, इस तरह से भी अभियोजन कथानक झूठा हो जाता है। पुलिस ने महज गुड–वर्क पाने के उददेश्य से प्रार्थी/अभियुक्त को फर्जी नामित कर दिया है। प्रार्थी/अभियुक्त एक संभ्रान्त परिवार का है, जिसकी कोई अपराधिक क्षवि नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 06.05.2026 से जिला कारागार रायबरेली निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र दिनांक 13.05.2026 को अवर न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। सत्र न्यायालय में अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है, न लंबित है। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी समुचित जमानत देने को तैयार है, तथा जमानत दुरूपयोग नहीं करेगा। प्रार्थी/अभियुक्त माननीय न्यायालय को यह वचन देता है कि वह अभियोजन साक्षियो को प्रभावित नहीं करेगा। तथा मुकदमा के निस्तारण में पूरा सहयोग करेगा और माननीय न्यायालय के आदेशों का अक्षरशः पालन करेगा। अतः अपराध उपरोक्त में प्रार्थी/अभि० का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार

कर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला लोक अभियोजक द्वारा कथन किया गया कि, प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने सह अभियुक्तो के साथ मिलकर दिनांक 05.05.2026 को गोदाम में घुस कर चौकीदारो के साथ मार पीट कर बन्धक बना कर गोदाम में रखी पीतल की टोटिया एंव चौकिदारो के फोन लूटने तथा गिरफ्तारी के समय ही मौके पर फोर्ट फीगो कार से सभी बोरियो को निकलवाकर गिनती करायी गयी तो पहली जूट की बोरी मे 153 अदद पीतल टोटी दूसरी बोरी मे 188 अदद पीतल की टोटी तीसरी प्लास्टिक की बोरी मे 192 अदद पीतल की टोटी चौथी जूट की बोरी में 172 अदद पीतल की टूटी पांचवी एक प्लास्टिक की बोरी में 215 अदद पीतल की टोटी कुल 920 अदद पीतल की टोटी बरामद हुयी थी। अभियुक्त यदि जमानत पर रिहा किया गया तो जमानत की शर्तों का दुरुपयोग करने व फरार होने तथा साक्ष्य व साक्षियों को प्रभावित करने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। उपरोक्त आधारों पर अभियुक्त की जमानत का घोर विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला सहायक लोक अभियोजक को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

उल्लेखनीय है कि, प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त है। अभियोजन द्वारा कथन किया गया है कि, प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने सह अभियुक्तो के साथ मिलकर दिनांक 05.05.2026 को गोदाम में घुस कर चौकीदारो के साथ मार पीट कर बन्धक बना कर गोदाम में रखी पीतल की टोटिया एंव चौकिदारो के फोन लूटने का कथन किया गया तथा गिरफ्तारी के समय ही मौके पर फोर्ट फीगो कार से सभी बोरियो को निकलवाकर गिनती करायी गयी तो पहली जूट की बोरी मे 153 अदद पीतल टोटी दूसरी बोरी मे 188 अदद पीतल की टोटी तीसरी प्लास्टिक की बोरी मे 192 अदद पीतल की टोटी चौथी जूट की बोरी में 172 अदद पीतल की टूटी पांचवी एक प्लास्टिक की बोरी में 215 अदद पीतल की टोटी कुल 920 अदद पीतल की टोटी बरामदगी होने का उल्लेख किया गया।

केस डायरी संख्या –1 के पृष्ठ संख्या 32–33 पर वादी जितेन्द्र मोहन सरोज द्वारा अपने धारा 180 भा०ना०सु०सं० के बयान में कथन किया गया है कि," .... चालक सीट पर एवं उसके बगल वाली सीट पर बैठे व्यक्ति ने हम पुलिस वालो को देखकर ललकारा कि ये पुलिस वाले है गोली मार दो और दोनो द्वारा गेट खोलकर अलग अलग दिशा मे भागते हुए ड्राईवर चालक की बगल सीट पर बैठा व्यक्ति मेरी टीम पर और चालक सीट पर बैठे व्यक्ति ने पीछे से आयी पुलिस टीम पर निशाना लगाकर जान से मारने की नियत से फायर किया... आत्मरक्षार्थ मे ... अपनी सरकारी पिस्टल से ड्राईविंग सीट के बगल वाली सीट पर बैठे व्यक्ति को जो पुनः कारतूस तमंचे मे लोड कर रहा था कि आत्मरक्षार्थ रोकने की नियत से कमर के नीचे फायर किया जो उसके दाहिने पैर मे लगी जबकि दूसरा व्यक्ति जिसने दूसरी टीम के उ0नि0 शिवम जायसवाल आदि पुलिस बल पर जान से मारने की नियत से फायर किया था घेराबंदी की बजह से वह भी तमंचा तानकर निशाना लगाकर मेरी तरफ झाड़ियो का आड़ लेकर आगे बढ़ा कि मेरे द्वारा अपनी व साथी पुलिस बल की सुरक्षार्थ उसके कमर के नीचे की तरफ फायर किया जो उसके वायें पैर मे लगी.... उनका नाम पता पूछा गया तो अक्षत मिश्रा....मोहित आर्या....संतोष निर्मल... अभिषेक... अरविन्द प्रजापति... ... हम लोग डर गये थे जिस कारण मोहित और अक्षत ने आप लोगो पर फायर कर दिया। आज हम लोग अपने

हिस्से की टोटियो को उनकी पत्नी से अलग करके बोरियो मे भरकर बेचने के लिए फुरसतगंज ले जा रहे थे तथा कुछ टोटियां हमारे साथी हमारे साथी प्रयागराज साहू के साथ ई–रिक्शा लोडर नं0 UP33CT6810 से पांच बोरियो मे लूटी गयी टोटी लेकर रायबरेली बेचने के लिए जा रहा है। ..... "

केस डायरी संख्या–1 के पृष्ठ संख्या 11 पर अवलोकन नकल फर्द में अंकन किया गया है कि,"..... मौके पर फोर्ट फी सूचना पूर्व से मामूरशुदा टीम उ0नि0 मोहित कुमार शर्मा, उ0नि0 शुभम शर्मा, का० शुभम कार से सभी बोरियो को निकलवाकर गिनती करायी गयी तो पहली जूट की बोरी में 153 अदद पीतल टोटी दूसरी बोरी मे 188 अदद पीतल की टोटी तीसरी प्लास्टिक की बोरी मे 192 अदद पीतल की टोटी चौथी जूट की बोरी मे 172 अदद पीतल की टूटी पांचवी एक प्लास्टिक की बोरी मे 215 अदद पीतल की टोटी कुल 920 अदद पीतल की टोटी बरामद हुयी। ....."

वादी मुकदमा के बयान तथा केस डायरी में फर्द साक्षियों के बयान अं० धारा 180 भा०ना०सु०सं० से अभियोजन कथानक को पूर्ण रूप से समर्थन प्राप्त होता है। अभियोजन पक्ष द्वारा, अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तों के साथ मिलकर, गोदाम में घुस कर चौकीदारो के साथ मार पीट कर बन्धक बना कर गोदाम में रखी पीतल की टोटिया एंव चौकिदारो के फोन लूटने का कथन किया गया है, जिसमें तलाशी करने पर कुल 920 अदद पीतल की टोटी बरामद हुयी थी। थाने की आख्यानुसार अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के समय पुलिस बल को देखकर अभियुक्तगणों द्वारा पुलिस वालों को जान से मारने की नियत से तमन्चे से फायर करने जैसा आपराधिक कृत्य किया गया। मौके पर गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में नामित अभियुक्त है। अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में जिन विसंगतियों को दर्शित करने का प्रयास किया गया है, वे साक्ष्य के विश्लेषण से सम्बन्धित हैं। अभियुक्त द्वारा साक्षियों को डराये धमकाये जाने की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए एवं मामले के गुण दोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये जमानत प्रार्थनापत्र **निरस्त** किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **अभिषेक** की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या–73/2026 अन्तर्गत धारा–109(2),3(4) भारतीय न्याय संहिता व 9/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना–डीह, जनपद–रायबरेली के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **निरस्त** किया जाता है।

(अनिल कुमार पंचम)
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।

(Stenographer)
Maneesha Kumari

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2026.07.07 16:57:08 IST
Reason: Order
Location: District and Sessions Court, Raebareli